



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1251]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 2005/अग्रहायण 14, 1927

No. 1251]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 2005/AGRAHAYANA 14, 1927

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2005

का.आ. 1689(अ).—केन्द्रीय सरकार जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2..3 का 18)की धारा 28 और धारा 29 के साथ पठित धारा 62 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (छ) और (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण)नियम, 2005 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं — इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से जैवविविधता अधिनियम, 2002 अभिप्रेत है ;

(ख) “लेखा परीक्षा अधिकारी” से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या प्राधिकरण के लेखा परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) “प्राधिकरण” से राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(घ) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ।

3. प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट

(1) अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकरण का सम्यक्तः प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्ररूप 1 में अधिनियम के धारा 28 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट, जिस वर्ष से रिपोर्ट संबंधित है, उसके आगामी वर्ष की 31 जुलाई को या उससे पूर्व रिपोर्ट को तैयार करेगा ।

(2) ऊपर उप नियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित की जाएगी ।

(3) अध्यक्ष द्वारा अधिप्रमाणित रिपोर्ट की प्रतियां उस वर्ष के आगामी वर्ष, जिस वर्ष से वार्षिक रिपोर्ट सम्बद्ध है, अगस्त मास के अंत तक केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी जिससे कि केन्द्रीय सरकार अधिनियम के धारा 30 के अधीन यथाअपेक्षित कार्यवाई कर सके ।

4. प्राधिकरण के लेखा

- (1) अध्यक्ष या उसकी ओर से अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकरण का वह अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा।
- (2) प्राधिकरण द्वारा सम्यक्तः अनुमोदित वार्षिक लेखा विवरण अध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय सरकार को उस तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (3) प्राधिकरण किए गए व्यय और वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान किए जाने वाले व्यय की तिमाही पुनरीक्षा प्रगति केन्द्रीय सरकार को जब कभी भी केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगी जाए, प्रस्तुत करेगा।
- (4) अध्यक्ष, प्राधिकरण के लेखा का रखरखाव, वित्तीय विवरण और विवरणी के संकलन का पर्यवेक्षण करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण के लेखा की लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सभी लेखा, किताबों, संबंधित वाऊचर और अन्य दस्तावेज तथ कागजपत्र को उस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे।
- (5) प्राधिकरण के इसके गठन की तारीख से प्रभावी प्रारंभिक लेखा सहित लेखा प्ररूप - 2 से 4 में रखे जाएंगे।
- (6) लेखा के वार्षिक विवरण को अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित किया जाएगा।
- (7) वार्षिक लेखा विवरण लेखा परीक्षा अधिकारी को लेखा से संबंधित वर्ष के आगामी वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा और लेखा परीक्षा अधिकारी प्राधिकरण के लेखा और उसकी रिपोर्ट की लेखा परीक्षा करेगा।
- (8) प्राधिकरण, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इंगित किसी कमी या अनियमिता के उपचार के बारे में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार और लेखा परीक्षा अधिकारी को देगा।

[फा. सं. 22018/46/2003-सीएससी/बीसी]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

प्ररूप - 1

(नियम 3 देखें)

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट

1 अप्रैल, 200.....से 31 मार्च, 200

अध्याय 1	प्राक्कथन
अध्याय 2	प्राधिकरण का गठन और उसमें परिवर्तन।
अध्याय 3	प्राधिकरण की बैठकें और उसमें लिए गए मुख्य विनश्चय।
अध्याय 4	प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां और उनके क्रियाकलाप।
अध्याय 5	जैवविविधता संसाधनों तक पहुंच विनियमित करने के क्रियाकलाप और उचित और समान लाभ में हिस्सा बंटाना।
अध्याय 6	जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 3, धारा 4 और धारा 6 में यथानिर्दिष्ट क्रियाकलापों के अनुमोदन के ब्यौरे।
अध्याय 7	आनुवांशिक संसाधन और सम्बद्ध ज्ञान से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार के संबंध में किए गए उपाय।
अध्याय 8	जैव संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अनुमोदन।
अध्याय 9	बौद्धिक सम्पदा अधिकार और लोक भागीदारी से सम्बद्ध जागरूकता।
अध्याय 10	जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अधिन जारी किए गए विनियम
अध्याय 11	प्राधिकरण का वित्त और लेखे
अध्याय 12	आगामी वर्ष की वार्षिक योजना
अध्याय 13	प्राधिकरण द्वारा निपटाए गए कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय

उपाबंध

1. प्राधिकरण के सदस्य
2. संगठन चार्ट
3. कर्मचारीवृंद की संख्या जिसमें भर्ती भी है
 - प्रकाशन
 - प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं जो आयोजित की गईं या जिनमें लिया गया
 - लेखा का विवरण

प्ररूप 2

(नियम 4 देखें)

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
.....को समाप्त वर्ष की प्राप्तिyaं और भुगतान

पूर्व वर्ष (1)	प्राप्तिyaं (2)	पूर्व वर्ष (3)	भुगतान (4)
आरंभिक बकाया 1. प्राप्त अनुदान (क) सरकार से..... (ख) अन्य अभिकरणों से.....		1. पूंजीगत व्यय (i) कार्य (ii) स्थिर आस्तियां (iii) अन्य आस्तियां	
(ii) शुल्क		(क) प्रयोगशाला उपस्कर (ख) यान (ग) फर्नीचर और जुड़नार (घ) वैज्ञानिक उपकरण और (ङ) औजार और संयंत्र	
(iii) जुर्माने और समपहरण (iv) विनिधान पर ब्याज (v) प्रकीर्ण प्राप्तिyaं (vi) प्रकीर्ण अग्रिम		2. राजस्व व्यय (क) प्रशासनिक (i) अधिकारियों का वेतन (ii) स्थापना का वेतन (iii) भत्ते और मानदेय (iv) छुट्टी वेतन और पेंशन अभिदाय (v) आकस्मिक व्यय	
(vii) निक्षेप		वसूलियां कटौती	
कुल		ख (i) बोर्ड प्रयोगशाला (ii) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को भुगतान किए गए प्रभार (ग) वाहनों को चलाना और अनुरक्षण (घ) अनुरक्षण और मरम्मत (i) किराया यदि कोई हो सहित भवन और भूमि जल विकास (ii) कार्य..... (iii) फर्नीचर और जुड़नार (iv) वैज्ञानिक उपकरण और कार्यालय साधित्र और मरम्मत	

2	3	4
	(v) औजार और संयंत्र (vi) अस्थायी कार्य (रखरखाव और मरम्मत सहित) (ड) परमार्शदाताओं और विशेषज्ञों का शुल्क (च) विधि प्रभार (छ) प्रकीर्ण (झ) लेखा परीक्षा के लिए शुल्क 3. क्रय 4. प्रकीर्ण 5. अग्रिम 6. निक्षेप	
	अंतिम बकाया	
	कुल	
लेखा अधिकारी	सचिव	अध्यक्ष

प्ररूप 3

(नियम 4 देखें)

लेखा का वार्षिक विवरण

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

31 मार्च, 200..... को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

पूर्व वर्ष	व्यय के ब्यौरे	उपशीर्ष का योग	मुख्य शीर्ष का योग	पूर्व वर्ष	आय के ब्यौरे	उपशीर्ष का योग	मुख्य शीर्ष का योग
1	2	3	4	5	6	7	8

राजस्व व्यय

(क) प्रशासनिक

प्राप्त भुगतान

(क) सरकार.....

(ख) अन्य अभिकरणों से.....

(i) अधिकारियों का वेतन

(ii) स्थापना का वेतन

(iii) भत्ते और मानदेय

(iv) छुट्टी वेतन और पेंशन अभिदाय

(v) कर्मचारी भविष्य निधि में
प्राधिकरण का अभिदाय

(vi) आकस्मिक व्यय

वसूली कटौतियां

योग

घटाएं

पूंजीगत व्यय के लिए प्रयोग की गई राशि शुद्ध अनुदान

राजस्व के लिए उपलब्ध

व्यय

(ख) प्रयोगशालाओं का चल व्यय

(ग) वाहनों का चलना और रखरखाव

(ii) शुल्क

(iii) सेवा किराया प्रभार

(iv) जुर्माने और समपहरण

(v) विनिधान पर ब्याज

(vi) प्रकीर्ण प्राप्तियां

(vii) आय से अधिक व्यय

- (घ) अनुरक्षण और मरम्मत
 (i) भवन और भूमि जल निकास
 (ii) कार्य
 (iii) फर्नीचर और जुड़नार
 (iv) वैज्ञानिक उपकरण और
 कार्यालय साधित्र
 (v) औजार और संयंत्र
 (अनुरक्षण और मरम्मत सहित)
 (ङ) अस्थायी कार्य
 (च) परमार्शदाताओं और विशेषज्ञों
 का शुल्क
 (छ) विधि प्रभार
 (झ) अवक्षयण

- (i) भवन
 (ii) प्रयोगशाला उपस्कर
 (iii) यान
 (iv) फर्नीचर और जुड़नार
 (v) वैज्ञानिक उपकरण और कार्यालय
 (vi) साधित्र
 (vii) औजार और संयंत्र

(ट) प्रकीर्ण

- (i) हानि को बट्टे खाते डालना
 (संलग्न विवरण के अनुसार)
 (ii) अन्य प्रकीर्ण व्यय
 (ठ) लेखापरीक्षा के लिए शुल्क
 (ड) व्यय से अधिक आय

योग

सचिव

अध्यक्ष

लेखा अधिकारी

प्ररूप 4

(नियम 4 देखें)

वार्षिक लेखा विवरण

31 मार्च, 200 को तुलन पत्र

पूँजी और दायित्व

पूर्व वर्ष	ब्यौरे	उपशीर्ष का योग	मुख्य शीर्ष का योग	पूर्व वर्ष	ब्यौरे	सम्पत्ति और उपशीर्ष का योग	आस्तियां और मुख्य शीर्ष का योग
1	2	3	4	5	6	7	8

(क) पूंजीगत निधि

(i) पूंजीगत व्यय के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान

(क) 31 मार्च 20..... तक उपयोग की गई राशि

(ख) 31 मार्च 20..... को उपयोग न किया गया बकाया

(ii) पूंजीगत व्यय.....के लिए अन्य अभिकरणों से अनुदान

(क) 31 मार्च 20..... तक उपयोग की गई राशि

(ख) 31 मार्च 20..... को उपयोग न किया गया बकाया

(iii) सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि का मूल्य

(प्रति कांटरा)

योग

(ख) पूंजीगत प्राप्तियां

(ग) (i).....बाह्यनिकायों से कार्य के लिए प्राप्त निक्षेप.....

व्यय

(i) अन्य निक्षेप

(घ) देय राशि

(i) क्रय

(ii) अन्य

(ङ) व्यय से अधिक आय.....

(i) 31 मार्च, 20तक

(ii) वर्ष के लिए जमा

(iii) कटौती करें आय से अधिक व्यय

कार्य—

(प्ररूप 8 के अनुसार)

2. स्थिर आस्तियां

(प्ररूप 9 के अनुसार)

(क) सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई भूमि का मूल्य (लागत)

(ख) भवन

अंतिम तुलनपत्र के अनुसार बकाया वर्ष के दौरान परिवर्धन

योग

घटाएं

वर्ष के दौरान अवक्षयण

3. अन्य आस्तियां

(प्ररूप 9 के अनुसार)

(क) अंतिम तुलनपत्र के अनुसार प्रयोगशाला उपस्करवर्ष के दौरान परिवर्धन

योग

घटाएं

वर्ष के दौरान अवक्षयण

योग

(ख) पिछले तुलनपत्र के अनुसार यान

.....वर्ष के दौरान परिवर्धन

कुल

कम वर्ष के दौरान अवक्षयण

योग

घटाएं

.....वर्ष के दौरान अवक्षयण

योग

(ग) फर्नीचर और जुड़नार

अंतिम तुलन पत्र के अनुसार

.....वर्ष के दौरान जमा

योग

घटाएं

.....वर्ष के दौरान अवक्षयण
योग
(घ) वैज्ञानिक उपकरण और कार्यालय साधित्र
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार
.....वर्ष के दौरान.....परिवर्धन
योग
(ङ) औजार और संयंत्र
अंतिम तुलनपत्र के अनुसार
.....वर्ष के दौरान परिवर्धन
योग
घटाए:
.....वर्ष के दौरान अवक्षयण
योग
4. अन्यान्य तृणी
(i) उपगत व्यय के लिए बाह्य निकायों से शोध राशि
व्यय
प्राप्त राशि घटाएं
(ii) अन्यान्य तृणी
5. अग्रिम
(क) प्रकीर्ण अग्रिम
(ख) वसूलनीय अन्य राशि
नकद
(क) सूचना अल्पावधि निक्षेप
(ख) हस्तगत नकद शेष
(ग) प्रेषण में नकद
योग

लेखा अधिकारी

सचिव

अध्यक्ष

प्ररूप 5

(नियम 4 देखें)

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

वार्षिक लेखा विवरण

31 मार्च, 200के कार्यों पर व्यय

क्रम सं. कार्य का नाम 31 मार्च 20.....तक वर्ष 20..... के दौरान 31 मार्च, 200..... तक

	प्रत्यक्ष व्यय	उपरिव्यय प्रभार	कुल व्यय	प्रत्यक्ष व्यय	उपरिव्यय प्रभार	कुल व्यय	प्रत्यक्ष व्यय	उपरिव्यय प्रभार	कुल व्यय
--	----------------	-----------------	----------	----------------	-----------------	----------	----------------	-----------------	----------

कुल
लेखा अधिकारी

सचिव

अध्यक्ष

प्ररूप 6
(नियम 4 देखें)
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण
वार्षिक लेखा विवरण

31 मार्च 20..... को स्थिर आस्तियां (मद 2 तुलनपत्र की आस्तियां)

31 मार्च 20..... को अन्य आस्तियां (मद 3 बकाया की आस्तियां)

क्रम सं.	आस्तियों की विशिष्टियां	31 मार्च 20.... को बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	के वर्ष के दौरान अवक्षयण	के वर्ष के दौरान बट्टे खाते विक्रय	31 मार्च 20.... को बकाया	31 मार्च 20.... को संचयी अवक्षयण
----------	-------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

लेखा अधिकारी

सचिव

अध्यक्ष

**MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th December, 2005

S.O. 1689(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) and Clauses (g) and (h) of Sub-Section (2) of Section 62 read with Sections 28 and 29 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government makes the following Rules, namely : -

1. Short title and Commencement :-

(1) These Rules may be called the National Biodiversity Authority (Annual Report and Annual Statement of Accounts) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Biological Diversity Act, 2002.
- (b) "Audit Officer" means the Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in connection with the audit of accounts of the Authority ;
- (c) " Authority" means the National Biodiversity Authority;
- (d) " Form" means a form annexed to these rules.

3. Annual report of Authority .-

(1) The Chairman or any other officer of the Authority duly authorised by the

Chairman in this behalf, shall prepare, in Form I, the annual report referred to in section 28 of the Act on or before the 31st day of July following the financial year to which that report relates.

(2) The annual report referred to in sub-rule (1) above, after approval by the Authority shall be signed and authenticated by the Chairman.

(3) Copies of the authenticated report shall be submitted by the Chairman to the Central Government by the end of August following the year to which the annual report relates to enable the Central Government to take action as required under Section 30 of the Act.

4. Accounts of Authority.-

- (1) The annual statement of accounts of the Authority for every financial year shall be prepared by the Chairman or such officer of the Authority as may be authorized by the Chairman in this behalf.
- (2) The annual statement of accounts duly approved by the Authority shall be submitted by the Chairman to the Central Government by such date as may be specified by the Central Government.
- (3) The Authority shall forward to the Central Government quarterly reviews of the progress of expenditure incurred and the expenditure likely to be incurred during the remaining part of the financial year as and when called for by the Central Government.
- (4) The Chairman shall supervise the maintenance of the accounts of the Authority, the compilation of financial statement and returns shall also ensure that all accounts, books, connected vouchers and other documents and papers of the Authority required by the Audit Officer for the purpose of auditing the accounts of the Authority are placed at the disposal of that officer.
- (5) The accounts of the Authority including initial accounts with effect from the date of its constitution shall be maintained in Form II to VI.
- (6) The annual statement of accounts shall be signed and authenticated by the Chairman.
- (7) The annual statement of accounts shall be submitted to the Audit Officer on or before the 30th of June following the year to which the accounts relate and the Audit Officer shall audit the accounts of the Authority and report thereon.

- (8) The Authority shall, within thirty days of receipt of Audit Report, remedy any defect or irregularity pointed out therein and report to the Central Government and the Audit Officer about the action taken by it thereon.

[F. No. 22018/46/2003-CSC/BC]
DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

FORM I
(See rule 3)

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY
ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR

1st APRIL 200..... TO 31st MARCH, 200...

CHAPTER 1	Introduction
CHAPTER-2	Constitution of the Authority including changes therein.
CHAPTER-3	Meetings of the Authority with major decisions taken therein.
CHAPTER-4	Committees constituted by the Authority and their activities.
CHAPTER-5	Activities to regulate Access to Biological Resources and fair and equitable benefit sharing.
CHAPTER-6	Details of approval granted for undertaking activities as referred in section 3,4 and 6 of the Biological Diversity Act, 2002.
CHAPTER-7	Measures taken in respect of Intellectual Property Rights related to genetic resources and associated knowledge.
CHAPTER-8	Approvals granted by the Authority for Access of Biological Resources.
CHAPTER-9	Awareness relating to the Intellectual Property Rights and Public Participation.
CHAPTER-10	Regulations issued under section 64 of the Biological Diversity Act, 2002.
CHAPTER-11	Finance and accounts of the Authority.
CHAPTER-12	Annual Plan of the following year.
CHAPTER-13	Any other important matter dealt by the Authority.

ANNEXURES

1. Members of the Authority.
2. Organisation Chart.
3. Staff Strength including recruitment.
 - ❖ Publications.
 - ❖ Training Courses/Seminars/Workshops organized or attended.
 - ❖ Statement of Accounts ?

FORM II
(See rule 4)
National Biodiversity Authority
Receipts and Payments for the year ended -

Previous Year (1)	Receipts (2)	Previous year (3)	Payments (4)
Opening Balance		1. Capital Expenditure	
I. Grants received		(i) Works	
(a) from Government.....		(ii) Fixed Assets.....	
(b) from other agencies.....		(iii) Other Assets.....	
II Fees		(a) Laboratory Equipment	
		(b) Vehicles	
		(c) Furnitures and Fixtures	
		(d) Scientific Instruments and	
		(e) Tools and Plant	
III. Fines and Forfeitures		2. Revenue Expenditure....	
IV. Interest of investments		(A) Administrative.....	
V. Miscellaneous Receipts		(i) Pay of Officers	
VI Miscellaneous Advances		(ii) Pay of Establishment	
		(ii) Allowances and Honoraria.	
		(iii) Leave Salary and pension Contribution	
		(iii) Contingent Expenditure.....	
VII Deposits		Deduct Recoveries.....	
Total			
		(B) (i) Board Laboratory	
		(ii) Charges to be plaid to the National Biodiversity Authority.	
		(C) Running and Maintenance of Vehicles.....	
		(D) Maintenance and Repairs	
		(i) Building and land Drainage including rents, if any	
		(ii) Works	
		(iii) Furniture and Fixtures	
		(iv) Scientific Instruments and Office Appliance and repairs)	
		(v) Tools and Plants.....	
		(vi) Temporary works (including maintenance and repairs)	
		(E) Fees to Consultants and Specialists.	
		(F) Law charges	
		(G) Miscellaneous	
		(H) Fees for Audit	
		3. Purchases.....	
		4. Miscellaneous.....	
		5. Advances.....	
		6. Deposits.....	
		Closing Balance	
		Total	

Accounts Officer

Secretary

Chairman

FORM III
(See rule 4)
National Biodiversity Authority

ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNT

Income and Expenditure Account for the year, ended 31st March, 20

Previous Year	Expenditure Details	Total of sub-head	Total of major-head	Previous Year	Income Details	Total of Sub-head	Total of Major-head
1	2	3	4	5	6	7	8
Rs.		Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.
To				By			
REVENUE EXPENDITURE				(1)	GRANTS RECEIVED		
(A) Administrative:					(a) From Govt.		
(i) Pay of Officers					(b) From other agencies		
(ii) Pay of establishment					Total:		
(iii) Allowances & Honoraria					Less:		
(iv) Leave salary and Pension contributions					Amount utilized for		
(v) Authority's Contributions to the staff Provident Fund					Capital expenditure net grant		
(vi) Contingent expenditure					Available for Revenue		
Deduct Recoveries.					expenditure.		
(B) Running expenses of Laboratories:					II. Fees: -		
					III. Service Rental charges.		
					IV. Fines and Forfeitures.		
					V. Interest on investments		
(C) Running and Maintenance of Vehicle.					VI. Miscellaneous Receipts		
					VII. Excess of expenditure over		
					Income.		
(D) Maintenance and Repairs:							
(i) Building and Land Drainage							
(ii) Works							
(iii) Furniture and Fixtures.							
(iv) Scientific instruments and office							
appliances.							
(v) Tools and Plant.					Total:		
(E) Temporary Works							
(including Maintenance and Repairs)							
(F) Fees to Consultants and Specialists.							
(G) Law Charges							
(H) Depreciation:							

- (i) Buildings.
- (ii) Laboratory Equipment.
- (iii) Vehicles.
- (iv) Furniture and Fixtures.
- (v) Scientific instruments and office appliances
- (vi) Tools and Plants.
- (I) Miscellaneous :
 - (i) Write Off of losses (as per details in the statement attached)
 - (ii) Other miscellaneous expenditure.
- (J) Fees for Audit.
- (K) Excess of Income over expenditure
- Total

Accounts Officer

Secretary

Chairman

FORM IV

National Biodiversity Authority

ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS

Balance Sheet as at 31st March, 200....

Capital and Liabilities				Property and Assets			
Previous year	Details	Total of sub-head	Total of Major head	Previous Years	Details	Total of sub-head	Total of Major head
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(A) Capital Fund

- (i) Grants received from Govt. for Capital expenditure
- (a) Amount utilized upto 31st March 20 . . .
- (b) Unutilised balance on 31st March 20 . . .
- (ii) Grant from other agencies for Capital expenditure
- (a) Amount utilized upto 31st March, 20 . . .
- (b) Unutilised balance upto 31st March, 20 . . .
- (iii) Value of land provided by Govt.

- 1. Works—
(As per Form VIII)
- 2. Fixed Assets (As per Form IX)
 - (a) Value of land provided by Govt. (at cost).
 - (b) Buildings—
Balance as per last balance sheet.
Additions during the year.
Total
 - Less :
Depreciation during the year (per contra)
Total

(B) Capital Receipts

- (C) (i) Deposits received for works from outside bodies.....
- Expenditure

- (iii) Other deposits

(D) Amounts due.....

- (i) Purchases
- (ii) Others

(E) Excess of income over expenditure

- (i) upto 31st March 20
- (ii) Add for the year

- 3. Other Assets (As per Form IX)
 - (a) Laboratory Equipment as per last Balance sheet—additions during the year
Total :
 - Less :
Depreciation during the year
Total :
- (b) Vehicles as per last balance sheet.
Additions during the year
- Total :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(iii) Deduct—Excess of Expenditure over income			Less		
					Depreciation during the year		
					Total :		
					Depreciation during the year		
					Total :		
				(c) Furniture and Fixtures			
				As per last Balance Sheet			
				Additions during the year			
				Total :			
				Depreciation during the year			
				Total :			
				(d) Scientific Instruments and Office Appliances			
			Total :	As per last Balance Sheet			
				Additions during the year			
				(e) Tools and Plants			
				As per last Balance Sheet.			
				Additions during the year			
			Total :	Less :			
				Depreciation during the year			
				Total			
				4. Sundry Debtors.....			
				(i) Amounts due from outside bodies for expenditure incurred			
				Expenditure			
				Less amount received			
				(ii) Other Sundry Debtors			
				5. Advances			
				(a) Miscellaneous Advances.			
				(b) Other amount recoverable.			
				Cash.....			
				(a) Notice/Short Term deposits			
				(b) Cash in hand.			
				(c) Cash in transit			
			Total	Total			

Accounts Officer

Secretary

Chairman

FORM V

(See rule 4)

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY

ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS

Expenditure on works as on 31st March, 20

S.No.	Name of Work	Upto 31st March, 20			During the Year 20			Upto 31st March, 20.....		
		Direct Overhead Expen- Charges - diture	Total Expen- - diture	Direct Expen- - diture	Overhead Charges	Total Expen- - diture	Direct Overhead Expen- Charges - diture	Total Expen- - diture		

Total

Accounts Officer

Secretary

Chairman

FORM VI

(See rule 4)

NATIONAL BIODIVERSITY AUTHORITY

ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS

Fixed Assets as on 31st March, 20 (Item 2 Assets of the Balance Sheet)

Other Assets as on 31st March, 20 (Item 3 Assets of the Balance)

S.No.	Particulars of Assets	Balance as on 31st March 20...	Additions during the years	Depreciation during the Year	Sales of write off during the year	Balance as on 31st March 20	Cumulative Depreciation as on 31st March 20.....
-------	-----------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

Total

Accounts Officer

Secretary.

Chairman